

Government Commerce College, Kota

Disabled-friendly, barrier free environment



राजस्थान सरकार
निदेशालय विशेष योग्यजन
वी 3/1 ए, दिव्य योग्यजन भवन, काजल हिल्स के चौड़े, जयपुर

क्रमांक : एक 16 () दि.को./राज.नमो./2021/14933-13 दिनांक 25/7/2022

1. शासन सचिव (उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा), शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
2. शासन सचिव, (साध्यमिक शिक्षा) शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।

OIC Dev 16/07/2022

विषय:- कक्षा 9 से उच्च शिक्षा हेतु राज्य में अध्ययनरत विशेष योग्यजन विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति हेतु आवेदन नेशनल ई-स्कॉलरशिप पोर्टल पर आमंत्रित किये जाने के संबंध में।
प्रसंग:- अवर सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार से प्राप्त पत्र दिनांक 15.07.2022 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में निवेदन है कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय नई दिल्ली भारत सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 हेतु नेशनल ई-स्कॉलरशिप योजनांतर्गत कक्षा 9 से उच्च शिक्षा में अध्ययनरत विशेष योग्यजन विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्रों को दिनांक 20.07.2022 से ऑन लाईन आवेदन आमंत्रित किये जाने के संबंध में अद्यतन कराया गया है। उक्त योजनांतर्गत संघालित प्री-मैट्रिक, पोस्ट-मैट्रिक एवं टॉप क्लास स्तर पर आवेदन करने की विनियमित तिथियां निर्धारित की गई है।

क्र. सं.	योजना का नाम	अभ्यार्थियों द्वारा आवेदन करने की अंतिम तिथि	शैक्षणिक पर आवेदन सत्यापन की अंतिम तिथि	संस्थान स्तर
1	प्री-मैट्रिक	30.09.2022	16.10.2022	
2	पोस्ट-मैट्रिक	31.10.2022	15.11.2022	
3	टॉप क्लास	31.10.2022	15.11.2022	

अतः आपसे निवेदन है मान्यता प्राप्त राजकीय शिक्षण संस्थानों/निजी शिक्षण संस्थानों में कक्षा 9 से उच्च शिक्षा में अध्ययनरत विशेष योग्यजन छात्र-छात्राओं के छात्रवृत्ति हेतु आवेदन नेशनल ई-स्कॉलरशिप पोर्टल www.scholarships.gov.in पर कराने हेतु संबंधित को आवश्यक निर्देश प्रदान करवाने का श्रम करवें।
संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय
(मजानन्द शर्मा)
आयुक्त एवं शासन सचिव

कार्यालय प्राचार्य राजकीय वाणिज्य महाविद्यालय, कोटा
तलवंडी कोटा - 324005, वृत्तमार्ग - 0744 - 2426258
Email id - gcc.kota31@gmail.com

क्रमांक: रावामको/2023/ 455 दिनांक : 12.04.2023

श्रीमान् आयुक्त महोदय,
आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान,
जयपुर।

विषय :- राज्य में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 (RPWD ACT 2016) की पालना एवं राजकीय महाविद्यालयों में विशेष योग्यजनों को देय सुविधाओं एवं बाधारहित वातावरण प्रदान करने के सम्बन्ध में।
संदर्भ :- आपका पत्रांक एक 4 (7) विविध/अकाद/आकाशि/2022/पार्ट/68 दिनांक 04.04.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि महाविद्यालय से संबंधित विशेष योग्यजन छात्रों के संबंध में धाही गई सूचना निम्नानुसार है :-

1. महाविद्यालय में विगत 5 वर्षों में शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या :-

क्र.सं.	सत्र	विद्यार्थियों की संख्या
1	2018-19	05
2	2019-20	03
3	2020-21	05
4	2021-22	04
5	2022-23	05
कुल विद्यार्थी		22

2. दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए कार्यरत विशेष व्याख्याताओं की सूची - सूचना सूच्य

प्राचार्य
राजकीय वाणिज्य महाविद्यालय, कोटा

राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/>
e-mail: hdci.cce@gmail.com Ph: 0141-2705736 (O);

क्रमांक एक 4 () आकाशि/वि.स./2022/969 दिनांक:- 04/04/23

प्रभिव/प्राचार्य
राजकीय वाणिज्य महाविद्यालय
राजस्थान

विषय:- राज्य में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 (RPWD ACT 2016) की पालना एवं निजी महाविद्यालयों में विशेष योग्यजनों को देय सुविधाओं एवं बाधारहित वातावरण प्रदान करने के सम्बन्ध में।
संदर्भ:- आयुक्तालय विशेष योग्यजन के पत्र क्रमांक एक 4 () आयु.नि.ज./2023/14037 जयपुर दिनांक 27.03.2023 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि आपके महाविद्यालय में विशेष योग्यजन छात्रों के संबंध में निम्न दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जाये:-

- महाविद्यालय में कितने विशेष योग्यजन छात्रों का विगत 5 वर्षों में शिक्षा प्रदान की गयी। सूचना का संरक्षण कर आयुक्तालय विशेष योग्यजन विभाग, जयपुर को भेजना।
- महाविद्यालय में दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए कार्यरत विशेष व्याख्याताओं की सूची आयुक्तालय विशेष योग्यजन विभाग, जयपुर को भेजना।
- दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 (RPWD ACT 2016) में प्रदत्त प्रावधानों के अनुसार विशेष योग्यजनों के अनुकूल भवन निर्माण करे जिससे विशेष योग्यजनों की सुविधा सुगमतापूर्वक हो सके।
- महाविद्यालय द्वारा समय-समय पर विशेष योग्यजनों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं को विवरण के ब्यवधान से प्रमाणित किया जाना सुनिश्चित करे।
- दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 (RPWD ACT 2016) के अन्वय 6 में बर्णित धारा 39 (प. इ. ख) के प्राधानुसार विशेष योग्यजनों के अधिकारों को सुनिश्चित करे।
- विशेष योग्यजनों हेतु कॉलेज भवन निर्माण नियमों एवं दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 (RPWD ACT 2016) की शर्त प्रविष्टि पालना की जावे एवं इन नियमों के (आगत/स्वागत कक्ष/प्रवेश द्वार) पर विशेष योग्यजनों के हितों दिशा निर्देश चिह्नक जिनमें आयुक्तालय विशेष योग्यजन का नाम-श्री उमार्कर शर्मा, राज्य आयुक्त, आयुक्तालय विशेष योग्यजन, राजस्थान सरकार, वृत्तमार्ग 4 (20) आकाशि/वि.स./2020/294 दिनांक 22.10.2020 अंकित करवें।
- निजी महाविद्यालयों के निर्देशन के लिए विनियम अट्रेश एक 4 (20) आकाशि/वि.स./2020/294 दिनांक 22.10.2020 एवं क्रमांक 300 दिनांक 12.11.2020 के द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारी आयुक्तालय विशेष योग्यजन हेतु भी नोडल अधिकारी का कार्य भी करेंगे।

- प्रतिनिधि निम्नलिखित को सुधारा एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजिए:-
- श्री उमार्कर शर्मा, राज्य आयुक्त, आयुक्तालय विशेष योग्यजन, राजस्थान सरकार।
 - समस्त सहायक निदेशक, सम्बंधित राजकीय महाविद्यालयों को उनको आवंटित तहसील में अवस्थित निजी महाविद्यालयों को सूचना पर सुचित करी हुर आदेश की पालना सुनिश्चित करवें।
 - प्राचार्य, नोडल राजकीय महाविद्यालय को भेजकर लेख है कि आपको आवंटित तहसील में अवस्थित निजी महाविद्यालयों को सूचना पर सुचित कर आदेश की पालना सुनिश्चित करवें। निजी महाविद्यालयों के निर्देशन के लिए विनियम अट्रेश एक 4 (20) आकाशि/वि.स./2020/294 दिनांक 22.10.2020 एवं क्रमांक 300 दिनांक 12.11.2020 के द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारी आयुक्तालय विशेष योग्यजन हेतु भी नोडल अधिकारी का कार्य भी करेंगे।
 - वेबसाइट प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
 - रक्षित चरमस्ती।

Signature valid
Digitally signed by **Sharma, Manoj**,
Designation:
Date: 2023.04.21 19:19 IST
Reason: Approved

Disabled-friendly, barrier free environment